K-206878/DS(DM)

आर टी आई मामला/समयबद्ध

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक : 5/12/ 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री आश्विनी मधुकर का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के ~~संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री आश्विनी मधुकर के दिनांक: 5/11/2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में~~ पंचायती राज मन्त्रालय से अंतरण द्वारा दिनांक: 22/11/2013 को प्राप्त) को डी. एम. प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क ~~पंचायती राज मन्त्रालय में~~ दिनांक....../......./2013 की रसीद ~~सं.......................~~के तहत जमा कर दिया है ~~(संलग्न)/ नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।~~

सु. सामंत

(एस. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

निदेशक (डी एम-I)
गृह मन्त्रालय, एन डी सी सी-II भवन
जयसिंह रोड, नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/सुश्री आश्विनी मधुकर
आर जेड-एफ, 201-1,
गली नं. 20 साध नगर-2
पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-110045

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए ऊपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

TC(DM)

192/RTI/2013
5/12/13.

C-1991/JS/JS(A)/13
22/11/13

दस्ती **सूचना के अधिकार मामला / समय बद्ध**

सं. जी-11011/409/2013-आर0टी0आई0.
भारत सरकार
पंचायतीराज मंत्रालय

सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 21 नवम्बर, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय: **सूचना के अधिकार अधिनियम** 2005 **के तहत श्री अश्विनी मधुकर का आवेदन।**

कृपया उपरोक्त विषय पर संलग्न श्री अश्विनी मधुकर के दिनांक 5.11.2013 का आवेदन (जो इस अनुभाग को सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 5.11.2013 को प्राप्त हुआ है), जो स्वत: स्पष्ट है, का अवलोकन करें।

2. चूंकि आवेदन मे चाही गई सूचना का संबंध भारत सरकार के गृह मंत्रालय से है, इसलिये आवेदन की छायाप्रति को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उप धारा (3) के अंतर्गत आपको अंतरित की जाती है।

3. प्रार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उप धारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए वांछित दस रुपए का आवेदन शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया है।

संलग्न: यथोपरि

मेरी जेकब
(मेरी जेकब)
अवर सचिव एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (भारत सरकार)
दूरभाष 011-23746557

सेवा में,

गृह मंत्रालय
श्री सतपाल चौहान, सयुक्त सचिव (नोडल अधिकारी)
कमरा संख्या 188, नार्थ ब्लाक,
नई दिल्ली।

on tour
JS (P-II) - L.O.
DS (E)
DM Div.
22/11
US (RTI) SO (RTI) 22/11

कृ. पृ. उ.

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

श्री अश्विनी मधुकर,
आर जैड-एफ-201- 1
गली नं-20, साध नगर-2
पालम कालोनी,
नई दिल्ली-110045

(मेरी जेकब)
अवर सचिव एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (भारत सरकार)

44+19/2013/RTI - Section.
Received Dated! - 20/11/13.

Dated. - 20/11/13.

05/Nov./2013

सेवा में
सूचना अधिकारी
पंचायती राज्य मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली।

विषय:- ~~मुझे~~ ग्राम 'बसुआ' में June, 2011 से October, 2011 के बीच कोशी नदी में भयंकर बाढ़ आई। इस प्राकृतिक आपदा के कारण 'बसुआ' के लोगों और किसानों की जमीन, घर आदि की क्षति हुई। सैंकड़ों लोगों का घर पानी की कटाव में बह गये था लोगों को अपनी जगह से हटना पड़ा। मुझे बसुआ गाँव के बारे में निम्न जानकारी चाहिए:-

(i) नदी के बहाव के कारण बसुआ गाँव के जिन लोगों का घर जमीन पानी की बहाव से कट गये या जगह छोड़नी पड़ी उन लोगों नाम (पिता के नाम के साथ) चाहिए।

(ii) कोशी नदी की बहाव में जितने लोगों को विस्थापित होना पड़ा उसमें कौन-कौन से दलित, महादलित और कितने ओ० बी० सी० (O.B.C.) है। बसुआ गाँव का पता है:-

ग्राम - बसुआ
पंचायत - कोयला
पो० - पीपरपाँती
थाना - पसराहा
जिला - खगड़िया
पिन - 851212
(बिहार)

US-0[illegible] (18-11-13)

Your faithfully.

Ashwini Madhukar
c/o Vijay Kumar
RZ-F-201/1
Gali No-20
Sadh Nagar-2
Palam Colony
New Delhi-110045.

43

6

स्पीड पोस्ट द्वारा
आर.टी. आई. मामला

संख्या.40-13/2013-एन.डी.एम
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

हॉल-'बी', तृतीय तल, एन.डी.सी.सी- ।। भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली
दिनांक 13 दिसम्बर, 2013

16 DEC 2013

सेवा में,
श्री अश्विनी मधुकर,
C/O श्री विजय कुमार,
आर.जैड-एफ-201/1,
गली नम्बर-20, साध नगर,
पालम कालोनी,
नई दिल्ली-110045.

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना

कृपया इस अनुभाग में 09.12.13 को प्राप्त अपने दिनांक 05.11.13 के आर.टी.आई आवेदन जो कि पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा 21 नवम्बर को गृह मंत्रालय को अंतरित किया गया था, का अवलोकन करें जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी गई है।

2. उक्त सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहना है कि मांगी गई सूचनाएं का संबंध बिहार सरकार से है। क्योंकि मौके पर (on ground) राहत का वितरण करने की प्रशासनिक जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। अतः आवेदन को मुख्य सचिव बिहार को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(ii) के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में आपसे अनुरोध है कि उचित जानकारी हेतु आप सीधे उर्पयुक्त विभाग से संपर्क स्थापित करें।

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इसके प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम के, 2005 की धारा 19(1) के तहत निम्नलिखित को अपील कर सकते हैं।

श्री आर. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव एवं अपील प्राधिकारी,
डी.एम. प्रभाग, गृह मंत्रालय,
हॉल-'बी', तीसरा तल, एन.डी.सी.सी.- ।। भवन,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001

गौ घोष
(गौतम घोष)
उप सचिव एवं केन्द्रीय सूचना अधिकारी (डी.एम.)
टेलीफोन-2343812

प्रतिलिपि संलग्नको सहित निम्नलिखित को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

मुख्य सचिव,
बिहार सरकार,
पुराना सचिवालय,
पटना-800015 (बिहार)

उक्त आवेदक के आवेदन पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस पर तुरंत कार्यवाई कर प्रार्थी को सीधे सूचना उपलब्ध कराये और उसकी एक प्रतिलिप इस मंत्रालय मंत्रालय को भी भेजने का श्रम करें।

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतुः-

आर.टी.आई. (श्री एस. सामंत, अवर सचिव), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली (आपके पत्र संख्या ए-43020/01/2013-आर.टी.आई. दिनांक 05.12.13)।